Case No BA 103 Date of Signature of Order or Order or proceeding with Signature of presiding Parties or Proceeding Pleaders where necessary आवेदक / आरोपी नी के 5% श अभ की ओर से श्री अंदीग गुरु ए अधिवक्ता ने एक जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438/439 जा०फो० का पेश किया। नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केश डायरी मय प्रतिवेदन बुलाया जाये/संबंधित अभिलेख बुलाया जावे । आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे | प्रकरण केश डायरी प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्ति/तर्क हेतु दिनांक 11 3 15 को पेश हो । विश्लेष न्यायाधीय (डकैती गोहद जिला- मिण्ड (म आरोपी / आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता । अनावेदक शासन द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल अपर लोक अभियोजक उंपस्थित । अनावेदक द्वारा जमानत आवेदनपत्र का कोई लिखित जवाब पेश नहीं करना व्यक्त किया है। आरोपी/आवेदक वीरू उर्फ जमानल आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ द.प्र.स. -उभयपक्ष को सूना गया। आरोपी / आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह के जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को स्ना गया। आरोपी / आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह का कहना है कि आवेदक की तबीयत खराब हो गयी थी और अन्य गोस्त-जिला-भिषद (म प

मामले में जेल में बंद होने से वह तारीख पेशी पर नहीं आ सका था और न ही अपने अधिवक्ता को सूचना दे सका था, इसलिये उसके जमानत मुचलके दि0-08/07/2015 को निरस्त हुए थे, और दिनांक-27/08/2015 को आवेदक को फरार घोषित कर दिया गया। वह दिनांक-07/02/2017 से वर्तमान तक न्यायिक अभिरक्षा में है, विचारण में भी समय लगेगा, वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा, नियमित प्रतिभूति पर छोड़े जाने बाबत आवेदन के समर्थन में दुर्गसिंह का शपथपत्र पेश किया गया है।

जबिक ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है वह कई पेशियों से अनुपस्थित होता आ रहा है । अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि आरोपी/आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह दिनांक—30/06/2016 को अनुपस्थित था, जिसपर उसके जमानत मुचलके निरस्त किए गये थे और उसे गिरफतारी वारण्ट से आहूत किये जाने का आदेश पारित किया गया।

उक्त गिरफतारी वारण्ट के पालन में दि0-05/10/2016 को गिरफतारी वारण्ट पर आरोपी के फरार होने से फरारी साक्ष्य ली जाकर आरोपी/आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंहसिंह को फरार घोषित किया गया। जारी किए गये स्थाई गिरफतारी वारण्ट के पालन में दि0-16/01/2017 को पुलिस द्वारा आवेदनपत्र पेश करते हुए उसे प्रोडक्शन वारण्ट से तलब किए जाने का निवेदन किया, जिसपर से दि0-07/02/2017 को उसे प्रोडक्शन वारण्ट के पालन में पेश किया जिसे अभिरक्षा में लेकर जेल गोहद भेजा गया है।

आरोपी की अनुपस्थिति का कारण तबीयत खराब

Order Sheet [Contd]

Case No Bb. 1.2.3 . of 2015		
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	हो जाना बताया गया है, वह औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है क्योंकि इसके संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण नहीं है । यह भी उल्लेखनीय है कि वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह डकैती न्यायालय गोहद में मात्र प्रोडक्शन वारण्ट के पालन में उपस्थित हुआ है, कभी भी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ है, बल्कि उसकी ओर से हाजिरी माफी आवेदनपत्र ही पेश होते रहे हैं । वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह के लगातार अनुपस्थित रहने से प्रकरण की कार्यवाही विलंबित हुई है, आरोपी वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह को जमानत का लाम दिये जाने से उसके पुनः फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए वाद विचार आरोपी/आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र के माध्यम से जमानत का लाम दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । बाद विचार जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—439 जा.फी. गुण दोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति मूल प्रकरण के साथ संलग्न हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो। (पी०सीठ अप्र)	
1		